

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

ज्ञापक:-प्र05(2)बजट(गै0यो0)-10/2011- 68(अम) खाद्य, पटना-15, दिनांक-04/02/15

प्रेषक,

हुकुम सिंह मीना,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
पुराना सचिवालय, बिहार, पटना ।

विषय:-

मुख्यशीर्ष 2013 मंत्रिपरिषद्, उप मुख्यशीर्ष- 00, लघुशीर्ष 800- अन्य व्यय, 0001- मंत्रिगण, 1303- दूरभाष इकाई, मांग संख्या-04 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में व्यय हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-519 दिनांक- 24.09.2014 द्वारा प्राप्त राशि का पुनरावंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विषयांकित शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में व्यय हेतु दूरभाष ईकाई में कुल- 40,000 (चालीस हजार) रुपये का आवंटन मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के पत्रांक-03/सी0एस0/एम0-आवंटन-02/2014-519 दिनांक-24.09.2014 के द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसे आवश्यकतानुसार खर्च करने हेतु पुनरावंटित किया जाता है ।

2. व्यय का विकलन मुख्यशीर्ष 2013 मंत्रिपरिषद्, उप मुख्यशीर्ष- 00, लघुशीर्ष- 800- अन्य व्यय, 0001- मंत्रिगण, 1303- दूरभाष इकाई, मांग संख्या-04 विपत्र कोड संख्या- एन0 2013008000001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में होगा ।

3. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र में यह अंकित किया जायेगा कि राशि प्राप्त आवंटन के अधीन है । संबंधित विपत्र में विभाग के आवंटन आदेश की संख्या तथा निधि का उल्लेख भी करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र में निहित राशि की निकासी की जा रही है । राशि का व्यय वित्त के विभाग के पत्रांक- 2561/वि0(02) दिनांक-17.04.1998 में निहित अन्य सभी प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा ।

4. यदि राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में नहीं हो सके तो उसका प्रत्यर्पण दिनांक 15.03.2015 तक अवश्य कर दिया जाय अन्यथा इससे उत्पन्न अनियमितताओं की सारी जिम्मेवारी संबंधित पदाधिकारी की होगी ।

ह0/-

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-प्र05(2)बजट(गोयो0)-10/2011- 68(9mL) खाद्य, पटना-15, दिनांक- 04/02/15
प्रतिलिपि-संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को पत्रांक-3/
सी0एस0/एम0-आवंटन-02/2014-519 दिनांक-24.09.2014 के प्रसंग में/क्ति विभाग (बजट
शाखा) माननीय मंत्री के आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर/प्रशाखा पदाधिकारी-01 एवं
05/लेखा शाखा (दो प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव ।